



-प्रेस नोट-

दिनांक: 21.02.2026

## वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कुतुबशेर, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 तमंचा .315 बोर/01 जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद ।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध नियंत्रण, वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी, अवैध शस्त्र रखने/तस्करी करने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री एच0.एन0 सिंह के कुशल नेतृत्व में थाना कुतुबशेर पुलिस द्वारा दिनांक 20.02.2026 को गस्त/चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त शेरु पुत्र कालू निवासी मक्का मस्जिद के पास मानकमऊ थाना कुतुबशेर सहारनपुर को थरोली रोड पर गैस ऐजेन्सी के पास से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से 01 तमंचा / 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद हुआ। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर गिरफ्तार अभियुक्त शेरु उपरोक्त के विरुद्ध थाना कुतुबशेर पर मु0अ0सं0 85/2026 धारा 3/25 आर्मस एक्ट पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

शेरु पुत्र कालू निवासी मक्का मस्जिद के पास मानक मऊ थाना कुतुबशेर सहारनपुर

### बरामदगी का विवरण-

➤ 01 तमंचा /01 जिन्दा कारतूस .315 बोर।

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का नाम-

1. उ0नि0 श्री कुलवंत सिंह मलिक थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
2. का0 1913 राजन थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।



दिनांक: 21.02.2026

-प्रेस नोट-

# वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

## थाना बेहट पुलिस द्वारा लूट के मुकदमें का वांछित अभियुक्त/लूटेरा गिरफ्तार, कब्जे से 2200 रु/- नगद बरामद

**घटना का विवरण:-** दिनांक 19.01.2026 को वादी श्री शौकीन पुत्र जमील निवासी ग्राम पथरवा थाना बेहट जनपद सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत गांगरो नदी पुल से पहले पीछे से तीन व्यक्ति मोटरसाइकिल सवार व्यक्तियों द्वारा वादी की जेब में रखे 50,000/- रुपये छिनकर भाग जाने के सम्बन्ध में थाना बेहट पर मु0अ0स0 38/2026 धारा 309(4)/317(2) बीएनएस बनाम मो0सा0 सवार 02 अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध पंजीकृत कराया गया।

**पुलिस कार्रवाही:-** वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध नियंत्रण, लूट, चोरी, नकबजनी आदि आपराधिक घटनाओं की रोकथाम व इन घटनाओं में शामिल अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण, सहारनपुर एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सतपाल सिंह भाटी के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 21.02.2026 को थाना बेहट पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त **प्रवीण उर्फ भूरा पुत्र नरेश कुमार निवासी मौ0 बडी मजारी कस्बा व थाना बेहट सहारनपुर** को उसके घर से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से मुकदमा उपरोक्त से संबंधित लूटे गये 2200/- रु0 नगद बरामद हुए। बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में अभियुक्त के विरुद्ध धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

### गिरफ्तार अभियुक्त गण का नाम व पता-

प्रवीण उर्फ भूरा पुत्र नरेश कुमार निवासी मौ0 बडी मजारी कस्बा व थाना बेहट सहारनपुर

### बरामदगी का विवरण-

➤ लूटे गये 2200/- रु0 नगद बरामद।

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री सतपाल सिंह भाटी थाना कोतवाली बेहट जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि0 करन नागर थाना कोतवाली बेहट जनपद सहारनपुर।
3. उ0नि0 अरविन्द तोमर थाना कोतवाली बेहट जिला सहारनपुर।



दिनांक: 21.02.2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में सशक्त पैरवी के चलते माननीय न्यायालय अपर-सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पी0सी0 एक्ट) कक्ष संख्या-01 जनपद सहारनपुर द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष का कारावास व 20 हजार रू0 के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई:-

अवगत कराना है, कि दिनांक 08.04.2016 को वादी श्री नीटू पुत्र बुद्धू निवासी ज्ञान विहार कालोनी थाना मण्डी जनपद सहारनपुर की सूचना पर अभियुक्तगण 1.राजकिशोर पुत्र किशन सिंह निवासी सरदार कालोनी थाना मण्डी जनपद सहारनपुर 2.राजेश पुत्र किशन सिंह निवासी सरदार कालोनी थाना मण्डी जनपद सहारनपुर के द्वारा वादी के साले विजय को धारदार हथियार से जान से मारने की नियत से चोट पहुंचा कर गम्भीर रूप से घायल कर देने के सम्बंध में मु0अ0स0-115/2016 धारा 307/34 भादवि थाना मण्डी जनपद सहारनपुर पर पंजीकृत कराया गया। जिसमें उपरोक्त विवेचना अभियोग एसटी नं0-148/2017 पर माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पी0सी0 एक्ट) कक्ष संख्या-01 जनपद सहारनपुर में विचाराधीन रहा।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में **OPERATION CONVICTION** में चिन्हित मांनिटरिंग सैल द्वारा की गई सशक्त पैरवी एवं प्रयासों के चलते माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पी0सी0 एक्ट) कक्ष संख्या-01 जनपद सहारनपुर द्वारा आज दिनांक 21.02.2026 को अभियुक्त राजकिशोर पुत्र किशन सिंह निवासी सरदार कालोनी थाना मण्डी जनपद सहारनपुर को थाना मण्डी पर पंजीकृत मु0अ0स0-115/2016 धारा 307/34 भादवि में दोषी पाते हुए 10 वर्ष का कारावास व 20 हजार रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

**नोट:-** अभियुक्त राजेश पुत्र किशन सिंह की वाद के दौरान मृत्यु हो चुकी है।

शासकीय अधिवक्ता- (ए0डी0जी0सी0) श्री संदीप

विवेचक- निरीक्षक श्री दिनेश कुमार उपाध्याय

पैरोकार- का0 म0है0का0 78 संगीता



दिनांक: 21.02.2026

-प्रेस नोट-

**वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश**  
**थाना कोतवाली मण्डी/सदर बाजार पुलिस की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा बाजार में**  
**खरीदारी करने आए लोगों से ठगी/टप्पेबाजी की घटना का सफल अनावरण करते**  
**हुए 03 शातिर ठग/टप्पेबाज अभियुक्त/अभियुक्ता गिरफ्तार**

**बरामदगी का विवरण:-**

- 2,50,000/- (दो लाख पचास हजार) रुपये
- 01 अल्टो कार K-10 (सीज 207 एमवी एक्ट)
- 02 चाकू नाजायज

अवगत कराना है कि दिनांक 12.02.2026 को वादिया रेखा शर्मा पत्नी संजय शर्मा निवासी नियर डीएम कोठी वाजोरिया रोड थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अज्ञात महिला द्वारा बाजार में खरीदारी करने हेतु जाते समय ई-रिक्शा में बैठकर वादिया मुकदमा व उसकी जेठानी को अपनी मीठी मीठी बातों में फसांकर रास्ते में टप्पेबाजी कर सोना दुगना करने को कहकर आभुषण उतरवा लेना और ई-रिक्शा से उतरकर चले जाने के सम्बन्ध में थाना कोतवाली मंडी पर मु0अ0सं0- 53/25 धारा 318(4) बी0एन0एस0 बनाम अज्ञात पांजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर द्वारा उपरोक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेकर घटना में शामिल अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी व माल की बरामदगी हेतु आदेश निर्देश दिये गये। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री रोजन्त त्यागी के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 21.02.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना मण्डी पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में त्वरित कार्यवाही करते हुए बाजार में खरीदारी करने आई महिलाओं से ठगी/टप्पेबाजी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 03 शातिर ठग/टप्पेबाज अभियुक्तगण 1. किरण पुत्र गणेश निवासी ग्राम बायड थाना बायड जिला अरवल्ली गुजरात 2. सुमित कुमार पुत्र श्यामकुमार निवासी C-5/102 सुल्तानपुरी थाना सुल्तानपुरी दिल्ली 3. आरती पत्नी स्व0 गिलाराम C-1/310 सुल्तानपुरी थाना सुल्तानपुरी दिल्ली को बेहट अड्डा के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के कब्जे से अलग-अलग मुकदमों 1. मु0अ0सं0-53/26 धारा 318(4) बी0एन0एस0 थाना मण्डी सहारनपुर (2,00,000/-) 2. मु0अ0सं0-31/26 धारा 318/(2) थाना कोतवाली नगर सहारनपुर (10,000/-) 3. मु0अ0सं0-40/26 धारा 318(2) बीएनएसएस थाना कोतवाली नगर सहारनपुर

(20,000/-) 4. मु0अ0सं0 92/26 धारा 318(4) बीएनएस थाना सदर बाजार सहारनपुर (20,000/-) से सम्बन्धित कुल **250000/- (दो लाख पचास हजार रुपये) व 01 अल्टो कार K-10** बरामद हुई जिसे मौके पर **207 एमवीएक्ट में सीज** किया गया तथा **02 नाजायज चाकू बरामद** हुए। जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली मण्डी व थाना कोतवाली नगर, थाना सदर बाजार द्वारा आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। अभियुक्तगण किरण पुत्र व सुमित कुमार उपरोक्त से बरामद चाकू के आधार पर मु0अ0सं0-66/26 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया। अभियुक्तगण के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से मा0न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

**पूछताछ विवरण-** पूछताछ करने पर गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त ने एक स्वर में बताया कि हम सभी लोग सुमित की पत्नी किरण के साथ मिलकर सहारनपुर में टप्पेबाजी करते हैं। हमने करीब 02 माह पूर्व किरण के घर पर दिल्ली में टप्पेबाजी की योजना बनाई थी और सहारनपुर में अलग-अलग दिन आकर कई टप्पेबाजी की घटनाओं को अन्जाम दिया था, जिसमें हमने सहारनपुर में कई महिलाओं से धोखाधड़ी कर उनके आभूषण चोरी कर लिये थे और आज भी हम ऐसी ही घटना करने के लिये सहारनपुर में आए थे कि तभी अचानक पुलिस न हमें पकड़ लिया। पुलिस ने जो (2,50,000/-) रुपये हमसे बरामद किये हैं वो हमने पूर्व में धोखाधड़ी कर चोरी किये गये आभूषणों को बेचकर प्राप्त किये थे। पुलिस ने जो हमसे 02 चाकू बरामद किये हैं उन्हें हम वारदात को अंजाम देते समय लोगो को डराने के लिये व अपनी सुरक्षा के लिये अपने पास रखते थे।

### **गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम पता -**

1. किरण पुत्र गणेश निवासी ग्राम बायड थाना बायड जिला अरवल्ली गुजरात उम्र 29 वर्ष
2. सुमित कुमार पुत्र श्यामकुमार निवासी C-5/102 सुल्तानपुरी थाना सुल्तानपुरी दिल्ली उम्र 34 वर्ष
3. आरती पत्नी स्व0 गिलाराम निवासी C-1/310 सुल्तानपुरी थाना सुल्तानपुरी दिल्ली उम्र 35 वर्ष

### **बरामदगी का विवरण-**

- 2,50,000/- (दो लाख पचास हजार) रुपये
- 01 अल्टो कार K-10 (सीज 207 एमवी एक्ट)
- 02 नाजायज चाकू

### **गिरफ्तार अभियुक्तगण का आपराधिक इतिहास-**

#### **1. अभियुक्त सुमित पुत्र श्याम कुमार का आपराधिक इतिहास-**

- मु0अ0सं0 273/24 धारा 379/411/420/467/468/471 भादवि थाना कृष्णानगर लखनऊ
- मु0अ0सं0-53/26 धारा 318(4)/303(2)/317(2)/61(2) बीएनएस0 थाना मण्डी सहारनपुर
- मु0अ0सं0-31/26 धारा 318/(2)/303(2)318(2) बीएनएस थाना कोतवाली नगर सहारनपुर
- मु0अ0सं0-40/26 धारा 318(2)/303(2),317(2),61(2) बीएसएस थाना कोतवाली नगर सहारनपुर

- मु0अ0सं0-92/26 धारा 318(4)/317(2)/61(2) बीएनएस थाना सदर बाजार सहारनपुर
- मु0अ0सं0-496/21 धारा 420/34 भादवि थाना सागरपुर दिल्ली
- मु0अ0सं0 485/21 धारा 420/34 भादवि थाना सागरपुर दिल्ली
- मु0अ0सं0 451/21 धारा 420,34 भादवि थाना पालम दिल्ली
- मु0अ0सं0 66/26 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना मण्डी सहारनपुर

## **2.अभियुक्त किरण पुत्र गणेश का आपराधिक इतिहास-**

- मु0अ0सं0-53/26 धारा 318(4)/303(2)/317(2)/61(2) बीएनएस0 थाना मण्डी सहारनपुर
- मु0अ0सं0-31/26 धारा 318/(2)/303(2)318(2) बीएनएस थाना कोतवाली नगर सहारनपुर
- मु0अ0सं0-40/26 धारा 318(2)/303(2),317(2),61(2) बीएसएस थाना कोतवाली नगर सहारनपुर
- मु0अ0सं0-92/26 धारा 318(4)/317(2)/61(2) बीएनएस थाना सदर बाजार सहारनपुर
- मु0अ0सं0 66/26 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना मण्डी सहारनपुर

## **3.अभियुक्ता आरती पत्नी स्व0 गिलाराम का आपराधिक इतिहास-**

- मु0अ0सं0-53/26 धारा 318(4)/303(2)/317(2)/61(2) बीएनएस0 थाना मण्डी सहारनपुर
- मु0अ0सं0-31/26 धारा 318/(2)/303(2)318(2) बीएनएस थाना कोतवाली नगर सहारनपुर
- मु0अ0सं0-40/26 धारा 318(2)/303(2),317(2),61(2) बीएसएस थाना कोतवाली नगर सहारनपुर
- मु0अ0सं0-92/26 धारा 318(4)/317(2)/61(2) बीएनएस थाना सदर बाजार सहारनपुर

## **गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-**

1. प्रभारी निरीक्षक श्री रोजन्त त्यागी थाना मण्डी सहारनपुर
2. व0उ0नि0 श्री सन्दीप अधाना थाना मण्डी सहारनपुर
3. उ0नि0 श्री निर्मल कुमार थाना मण्डी सहारनपुर
4. उ0नि0 श्री रविन्द्र कुमार थाना सदर बाजार सहारनपुर
5. हे0का0 100 राहुल त्यागी थाना मण्डी सहारनपुर
6. हे0का0 02 कमल कौशिक थाना मण्डी सहारनपुर
7. हे0का0 67 कुलदेव थाना सदर बाजार सहारनपुर
8. हे0का0 850 सचिन कुमार थाना सदर बाजार सहारनपुर
9. हे0का0 504 विपिन कुमार थाना सदर बाजार सहारनपुर
10. हे0का0 521 सुनील राणा थाना मण्डी सहारनपुर
11. म0हे0का0 938 पूजा निश्वल थाना मण्डी सहारनपुर